उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या-20/2015-एस0ई0-4-712/दस-2015-ई0-2/06
लखनऊ : दिनांक : 25 फरवरी 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथासंशोधित, 2014 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत श्री आनन्द कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अनुसचिव, वित्त विभाग द्वारा स्वंय के दिनांक 16-12-2012 से लगातार निजी चिकित्सक/चिकित्सालय से कराये गये उपचार पर व्यय की गयी धनराशि रू0 10,391/- (रूपये दस हजार तीन सौ इक्यानवे मात्र), जो चिकित्सा अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेन्सरी, बापू भवन, लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है, की प्रतिपूर्ति किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्षता भत्ते तथा पेंशन) के अधीन लेखाशीर्षक-"2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-आयोजनेतर-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-02-दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी व उनके आश्रितों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा।

बी0के0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-20/2015-एस0ई0-4-712(1)/दस-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को संबंधित दावा मूलरूप में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान स्वयं अपने स्तर से करने का कष्ट करें।
(3) श्री आनन्द कुमार शर्मा सेवानिवृत्त अनुसचिव, वित्त विभाग, सी-22/5, राजाजीपुरम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे दावे के संबंध में संबंधित कार्यालय से सम्पर्क करना चाहें। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।